

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)()/VC/PMMVY/ICDS/2018/

162836-163303 दिनांक : 6-9-18


उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त

विषय:- माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ताओं व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को 10.00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ताओं (LS, AWWs, ASHA & ANM) व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को 10.00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जायेगा।

अतः आप अपने जिले की समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे अपने परियोजना की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका व महिला पर्यवेक्षकों के साथ अटल सेवा केन्द्र या नजदीकी केन्द्र जहां पर वी0सी0 की सुविधा होगी, वहां उपस्थिति देवें। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर संबंधित को भी वी.सी. में आमंत्रित करें।


निदेशक


समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)()/VC/PMMVY/ICDS/2018/

163304-314 दिनांक : 6-9-18

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित जिला कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय,
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कार्यालय,
3. मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, आईसीडीएस, राजस्थान जयपुर
7. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई)